
Time: 3 Hours

Maximum Marks: 100

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

- अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
- 2 "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुश्तिका" (रफ कार्य के पृथ्ठ सिंहत) के अन्दर कहीं पर भी कोई पिहवान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अधवा कोई भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुवित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रह कर दी जायेगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंद्यनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अथोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डिक कार्यवाही हेत् भी उत्तरदायी माना जायेगा।
- प्रश्न पत्र 'अ' और 'ब' दो भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में से किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या और उनके अंक उस भाग में अंकित किये गये हैं।
- 5. भाग 'अ' में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा प्रत्येक के चार उत्तर विकल्प दिये गये हैं। अभ्यर्थी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर विकल्पों के आगे बने चौखाने में सही का चिन्ह √ लगा कर स्पष्ट रूप से निंदिष्ट करने चाहियें, किसी अन्य स्थान पर नहीं। प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर दिया जाना है। एक से अधिक उत्तर दिये जाने की दशा में उत्तर गलत माना जायेगा।
- 6. भाग 'ब' में दिये गये प्रश्नों के उत्तर निरंपवाद रूप से "प्रश्न पत्र-सह—उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखे. कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी को अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक नहीं लिखने चाहिये। किसी भी परिस्थिति में पुरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
- उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिये, दोनों में नहीं। फ्लेप पर उत्तर के माध्यम के चौखाने में एक विकल्प को चिन्हित करें।
- किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
- 10. यदि "प्रश्न पत्र--सह--उत्तर पुरितका" कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित हैं, तो शीधताशीध अमिजागर से कह कर उसे बदलवा लें या अमिजागर के ध्रणा में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा ।
- 11. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।
- 1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
- Do not write any mark of identity inside the "Question paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll Number, Name, Address, Mobile Number/ Telephone Number, Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
- A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means)
 Act. 1992.
- 4. The question paper is divided into two parts, A and B. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in that
- 5. There are Twenty (20) objective type questions in Part 'A' of the question paper cum answer book, each having four (4) alternative options. Candidate should clearly indicate the correct answer of objective type question in the box provided against each option by mark of correct
 and not elsewhere. Only one answer is to be indicated for each question. Marking of more than one answer would be treated as wrong answer.
- 6. The answers of the questions in the part 'B' should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
- The candidate should not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
- a. Attempt answers either in Hindi or in English, not in both. Specify an option by ticking in box of medium of answer on the flap.
- 9. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
- 10. In case the Question paper cum Answer booklet" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
- Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

S

Part A - भाग अ Objective - वस्तुनिष्ठ

Marks/अंक - 20

Attempt all the 20 Questions. Each question carries 1 mark. समस्त 20 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है।

Question N	0.	1.
------------	----	----

811/38/15		
provi Land	Exclusion of jurisdiction of civil court with respect to ided for under the provisions of Rajasthan Tenancy Revenue Act, 1956 shall not operate in respect of :-	Act, 1955 and Rajastnan
(1)	a boundary dispute or any other dispute between es holder, wherein a question of title is involved	
(2)	for establishing right to way or easement	
(3)	(1) & (2) above	=
(4)	none of above	
प्रश्न	संख्या 1.	
	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू-राजर	व आधानयम्, 1956 क अन्तगत
उत्पन	न होने वाले एवं प्रावधित किस मामले में सिविल न्यायालय का क्षे	त्राधिकार विवाजत नहां हांगाः
(1)	किसी भी सीमा विवाद में या भू सम्पतिधारकों के बीच अन्य विव	
	जिसमें स्वत्व का कोई प्रश्न अन्तर्वलित हो किसी व्यक्ति के रास्ते के अधिकार या सुखाचार को स्थापित क	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(2)		हरन के लिए 🗀
(3)	उपरोक्त (1) और (2)	
(4)	उपरोक्त में से कोई नहीं	
Que	estion No.2.	
	The doctrine of dominus litis is acceptable in Civil	Procedure Code, 1908 but
with	exception under :-	
(1)		- 🗀
(2)		
(3)		
(4)	Order I Rule 6	
प्रश्न	। संख्या २.	A) A V C:
	डोमिनस लिटिस का सिद्वान्त अपवाद के साथ व्यवहार प्रक्रिया	सहिता 1908 में स्वीकाय ह:
(1)	अन्तर्गत आदेश VIII नियम 9	
(2)	अन्तर्गत आदेश I नियम 10(2)	
(3)	अन्तर्गत आदेश II नियम 2	
(4)	अन्तर्गत आदेश I नियम 6	
Qu	estion No.3.	
	Under the provisions of Order XIV Rule 1 Code of	f Civil Procedure, 1908, the
kin	nds of issues specified are :-	er servinaname en
(1)		
(2)) issues of law	
(3)	issues of fact and issues of law	
(4) issues of fact, issues of law and issues of mixed	
atres	questions of law and fact	
	X#	

प्रश्न सं	ंख्या 3. आदेश XIV नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908, के अन्तर्गत विवाद्या	कों के विनिर्दिष्ट प्रकार
意:- (1) (2)	तथ्य के विवाद्यक विधि के विवाद्यक तथ्य के विवाद्यक एवं विधि के विवाद्यक तथ्य के विवाद्यक, विधि के विवाद्यक तथा तथ्य एवं विधि के मिश्रित प्रश्नों के विवाद्यक	
Ques	tion No.4.	
autho (1) (2) (3) (4)	ashid Ahmad and Anr. Vs. Anisa Khatun and Ors. (AIR oritative pronouncement of Privy Council on the subject Inheritance under Muslim Law Legitimacy of divorce Right of a Muslim to execute Hiba for his property Muslim women right to maintenance	1932 PC 25) is an
का नि (1) मु (2) त (3) ए (4) मु	संख्या 4. रशीद अहमद एवं अन्य बनाम अनीसा खातून एवं अन्य (AIR 1932) मन में से किस विषय पर अधिकारिक निर्णय है :- स्लिम विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकार लाक की विधि सम्मतत्ता क मुस्लिम का अपनी सम्पत्ति का हिबा निष्पादन का अधिकार स्लिम महिला का भरण पोषण का अधिकार	PC 25) प्रिवी कॉंउंसिल
Que	stion No. 5.	
(1) (2) (3) (4)	Order XVI Rule 14 CPC provides for:- procedure if witness fails to appear summoning a stranger to the suit as a witness by the court on its own accord procedure where witness fails to comply with summons consequence of refusal of party to give evidence when called on by court संख्या 5.	
(1) (2) (3) (4)	आदेश xvi नियम 14 प्रावधित करता है :- प्रक्रिया यदि साक्षी उपस्थित होने में विफल रहे न्यायालय द्वारा स्वतः वाद से अपरिचित व्यक्ति को साक्षी के रूप में आहूत करना प्रक्रिया यदि साक्षी सम्मन की पालना करने में विफल रहे न्यायालय द्वारा आहूत करने पर पक्षकार द्वारा साक्ष्य देने से इन्कार करने पर परिणाम	
Que	estion No. 6.	
(1) (2) (3) (4)	fraus et jus nunquam cohabitant damnum sine injuria	maxim?

प्रश्न	संख्या 6.
100000	पूर्व न्याय (रेस जूडिकेटा) के नियम का प्रादुर्भाव निम्न सूत्र (मेक्सिम) से हुआ है :
(1)	ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
(2)	fraus et jus nunquam cohabitant
(3)	damnum sine injuria
(4)	nemo debet bis vexari pro una et eadem causa
Que	estion No.7.
purpupto (1)	In the event of death of the person referred to in sub-clause (i) of Section 2(i) he Rajasthan Rent Control Act, 2001, in case of premises let out for residential coses, who of the followings ordinarily residing with him as member of his family his death shall be included within the definition of tenant: surviving spouse, son, daughter, brother, sister, mother, father, grand father and grand mother
(2)	surviving spouse, son, daughter, brother,
(3)	sister, mother and father surviving spouse, son, daughter, mother and father surviving spouse, son and daughter
(4)	surviving spouse, son and daughter
प्रश्न	संख्या ७.
	राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम, 2001 की धारा 2(झ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति
की	मृत्यु हो जाने की दशा में, निवासीय प्रयोजनार्थ किराये दिये गये परिसर की दशा में, ऐसे परिसर
	सकें कुटुम्ब के सदस्य के रूप में उसकी मृत्यु तक साधारणतया निवास कर रहे निम्नलिखित में से
कौन	व्यक्ति किरायेदार की परिभाषा में सम्मिलित होगें :-
(1)	उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, माता, पिता, दादा एवं दादी
(2)	उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, माता एवं पिता
(3)	उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता एवं पिता
(4)	उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र एवं पुत्री
	estion No.8
(1)	Section 14 of the Limitation Act 1963 can be invoked by a litigant in :- Original Suit
(2)	First Appeal
(3)	
(4)	
Separa	
Я₹Т	ा संख्या 8. पक्षकार द्वारा धारा 14 परिसीमा अधिनियम, 1963 का अवलम्ब निम्न में लिया जा सकता है:-
(1)	
(2)	पूर्ण दावा प्रथम अपील द्वितीय अपील उपरोक्त सभी
(3)	द्वितीय अपील
(4)	उपरोक्त सभी
(7)	

Question No.9.	
The decision of the State Government shall be fine before the civil court by way of civil suit or other process of sub-section (2) of Section 107 of the Rajasthan Parespect of any dispute arising between: (1) two or more Panchayati Raj Institutions (2) two Panchayati Raj Institutions or between a Panchayati Raj Institution and any other local auth (3) a Panchayati Raj Institution and any statutory bod one or more Panchayati Raj Institution and any department of State Government	edings by virtue of provision anchayati Raj Act, 1994, in
प्रश्न संख्या ९.	
निम्न में से किन के बीच उत्पन्न विवाद पर राज्य सरकार व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 107 की उप- व्यवहार न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद या अन्य कार्यवाहियों के सकता है:-	-धारा (2) के प्रावधान होते हए
(1) दो या अधिक पंचायतीराज संस्थान के बीच	
(2) दो पंचायतीराज संस्थान या एक पंचायतीराज संस्थान	STOCK THE
एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के बीच (3) एक पंचायतीराज संस्थान एवं किसी कानूनी निकाय के बीच	
(4) एक या अधिक पंचायतीराज संस्थाओं एवं राज्य सरकार के	
किसी विभाग के बीच	
A person intending to erect new building, readdition in a building within the territorial limits of a Mathematical to be deemed permission of provisions of Section 194 of the Rajasthan Municipal without violating any provision of the Act, rules or by which of the following condition being satisfied: (1) the Municipality fails to decide his application within a period of two months from the date of receipt of application complete in all respect (2) if decision is not conveyed to the applicant within the period of two months and a clear one month notice is given by him asking the Municipality to take decision (3) on failure of the Municipality to decide his applicat within a period of two months and even after one month's clear notice being given to the Municipality asking to take decision on his application, the Municipality fails to dispose of the application or to inform person of the action which is being taken (4) none of the above	dunicipality, may commence f the Municipality under the lities Act, 2009 ('the Act') e-laws made thereunder, on

प्रश्न र	संख्या १०.	
	किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर नया भवन निर्मित करने या	भवन को पुननिर्मित करने
या भर	वन में तात्विक परिवर्धन करने का आशय रखने वाला व्यक्ति निम्न में र	से कौनसी शर्त के सन्तष्ट
होने प	ार धारा 194 नगरपालिका अधिनियम, 2009 ('अधिनियम') के अन्तर्गत	नगरपालिका की दी गयी
थनना	मानते हुए, अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम एवं उपवि	धियों के किसी उपबंध का
	न किये बिना, संनिर्माण प्रारम्भ कर सकेगा :	
	यदि नगरपालिका सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की	
(1)		
	तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर-भीतर उसका आवेदन	
	विनिश्चित करने में विफल रहे	
(2)	यदि दो माह की कालावधि के भीतर-भीतर विनिश्चय से आवेदक	
	को सूचित नहीं किया जाता है एवं उसके द्वारा एक माह का स्पष्ट	
	नोटिस नगरपालिका से उस कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन	
	विनिश्चत करने की अपेक्षा के साथ दे दिया गया है	
(3)	यदि नगरपालिका के दो माह के भीतर-भीतर आवेदन के विनिश्चय	
(-)	करने में विफल रहने एवं एक माह का स्पष्ट नोटिस नगरपालिका	
	से उसके आवेदन का विनिश्चय उक्त कालावधि के भीतर-भीतर	
	करने की अपेक्षा के साथ देने के पश्चात् भी नगरपालिका आवेदन	
	करन का अपना के साथ दन के परचात् ना नगरपालका आवदन	
	का निस्तारण करने में या कार्रवाई जो उस मामले में की जा रही है	
	की सूचना उस व्यक्ति को देने में विफल रहती है	
(4)	उपरोक्त में से कोई नहीं	
Que	stion No.11.	
	The price in a contract of sale may be fixed:-	
(1)	by the contract	
(2)	be left to be fixed in manner agreed by the contract	
(3)	be determined by the course of dealing between the	
(4)	parties	
(4)	all of the above	
प्रश्न	संख्या ११.	
	विक्रय की संविदा में कीमत नियत की जाती है :	
(1)	संविदा के द्वारा	
	संविदा के अन्तर्गत करारित रीति नियत किये जाने के लिए	
(2)		
(-)	छोडी जा सकेगी	
(3)	पक्षकारों के बीच की व्यवहार—चर्या द्वारा अवधारित की	
	जा सकेगी	
(4)	उपरोक्त सभी	
0	estion No.12.	
Que	estion No.12.	
	Subject to the provisions of the Sale of Goods Act, 19:	30 and of any law for
time	being in force, notwithstanding that the property in g	oods may have been
pas	sed to the buyer, the unpaid seller of the goods as such h	as right by implication
	aw:-	
(1)	a lien on the goods for the price while he is in	
	possession of them	
(2)	has an absolute right of re-sale	
(3)	an absolute right of stopping the goods in	
	transit after he has parted with the possession	
	of them	
(4)	none of the above	

प्रश्न	संख्या 12.		
	माल विक्रय अधिनियम, 1930 और किसी तत्समय प्रवृत्त	तिधि के उपबन्धों के अध्यधीन इस ब	ात
के ह	होते हुए भी कि माल में की सम्पत्ति क्रेता को संक्रान्त है	ो गई हो, असंदत विक्रेता को उस न	ाते
	की विवेच्छा से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है :-		Action
(1)	माल पर कीमत लेकर तब तक धारणाधिकार जब तक		
.,	उसका उस पर कब्जा रहता है		
(2)	उसे पुनः विक्रय करने का सम्पूर्ण अधिकार है	=	
(2) (3)	माल अपने कब्जे से अलग कर देने के पश्चात् उसे		
(3)	अभिवहन में रोक देने का अधिकार		
1.1	(LOCAL CONT.) - TO LOCAL CONT. AND CONT. AND CONT. AND CONT. CONT		
(4)	उपरोक्त में से कोई नहीं		
Que	estion No.13.		
	Who is liable for the wrongful acts of a part	mer acting in the ordinary cour	Se
of b	ousiness of a firm?	are deeing in the ordinary cours	30
(1)	only erring partner of the firm		
(2)	the firm		
(3)	only the partners actively carrying on the		
200	business of the firm in ordinary course		
(4)	none of the above		
प्रश्न	संख्या 13.		
	भागीदार के सदोष कार्य जो उसके द्वारा फर्म के कारो	बार के साधारण अनुक्रम में किया गया	青
के वि	लेए कौन उत्तरदायी होगा ?		
(1)	मात्र सदोष कार्य करने वाला भागीदार		
(2)	फर्म		
(3)	मात्र वे भागीदार जो सक्रिय रूप से साधारण अनुक्रम मे	Ť	
	फर्म का कारोबार कर रहे है		
(4)	उपरोक्त में से कोई नहीं		
	estion No.14.		
	In a suit where the prayer is for declaration		
	relief sought is with reference to any immovab		
	ler the Rajasthan Court Fees & Suits Valuation	Act, 1961, shall be computed	on
(1)	market value of the property subject to mini-		
(1)	market value of the property subject to mini- fee of twenty rupees		
(2)			
(-)	subject to minimum fee of twenty rupees		
(3)	[
	in the plaint subject to a minimum of forty ru		
(4)	s :		
	the plaint subject to minimum of twenty five		
	74		

प्रश्न	संख्या 14.	
	किसी वाद में जहाँ प्रार्थना घोषणा और पारिणामिक व्यादेश के लिए है	और इच्छित अनतोष
किसी	स्थावर सम्पत्ति के बारे में है तो राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यां	कन अधिनियम 1961
	न्तर्गत देय न्यायालय फीस की संगणना निम्नानुसार की जायेगी :	47 7 3141 14 1, 1301
	फीस संगणना 20 रूपये न्यूनतम फीस के अध्यधीन,	
(1)		
	सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर	
(2)	फीस की संगणना 20 रूपये की न्यूनतम फीस के अध्यधीन,	
	सम्पत्ति के बाजार मूल्य के आधे पर	
(3)	फीस की संगणना वाद में चाहे गये अनुतोष एवं मूल्यांकन के	Sout Oak
	अनुसार, 40 रूपये की न्यूनतम फीस के अध्यधीन	
(4)	फीस की संगणना वाद में चाहे गये अनुतोष एवं मूल्यांकन	
(4)		
~	के अनुसार, फीस की गणना 20 रूपये की न्यूनतम फीस के अध्यधीन	
Que	stion No.15.	
	Which one of these is federal feature of the Constitution of Ir	adia.
(1)	Which one of these is federal feature of the Constitution of Ir	idia:-
(2)	written and rigid constitution	\vdash
	vesting of residuary powers with the Centre	
(3) (4)	distribution of powers between Centre and States independent judiciary	
(+)	independent judiciary	
	riam as	20
प्रश्न	संख्या १५.	
	इनमें से कौनसा भारतीय संविधान के परिसंधीय प्रवृत्ति	का द्योतक है:
(1)	लिखित एवं अनम्य संविधान	
(2)	केन्द्र में अवशिष्टिय अधिकारों को निहित करना	
(3)	केन्द्र व राज्यों के मध्य अधिकारों का वितरण करना	
(4)	स्वतंत्र न्यायपालिका	
(.)		
Oue	stion No.16.	
	The appointment of District Judges and the control over sub	ordinate courts is
deal	t with under which Chapter of the Constitution of India ?	or amate courts is
(1)	Chapter VIII	
(2)	Chapter VII	\equiv
(3)	Chapter VI	
(4)	Chapter IX	
गणन	संख्या १६.	
H		
	जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा अधिनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से	सम्बन्धित प्रावधानी
	उल्लेख भारतीय संविधान के किस अध्याय में है ?	
(1)	अध्याय VIII	
(2)	अध्याय VII	$\overline{\Box}$
(3)	अध्याय 🗸	
(4)	अध्याय IX	\equiv
,		
Que	estion No.17.	
574		
	Under Section 163A of the Motor Vehicles Act, 1988, the or	wner of the motor
vehi	cle or the authorised insurer shall be liable to pay compensation	on to the claimant
as in	ndicated in the Second Schedule in case of :-	to the claimant
(1)	death	
(2)	permanent disablement	H
(3)	death or permanent disablement	
(4)	death, permanent disablement or any other injury	\vdash

HJS-15-LP-1

G0.01	संख्या 17. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धार		
24 TO 1000 Ft. 1000	र्ज्ता अधिनियम की अनुसूची द्वितीय व ों में उत्तरदायी होगा :—	के तहत् दावेदार को मुआवजा अदा	करने के लिए निम्न
(1)	मृत्यु होने पर		
(2)	स्थायी निःशक्तता होने पर		
(3)	मृत्यु या स्थायी निःशक्तता होने पर	V. V. G. VV	
(4)	मृत्यु, स्थायी निःशक्तता अथवा अन्य	कोई चोट कारित होने पर	
Que	stion No.18.		
	hich one of the following is needed to be compared the compared to the compared the compared to the compared t	[1987] [1870] : [1887] [1887] [1887] [1887] [1887] [1887] [1887] [1887] [1887] [1887] [1887] [1887] [1887]	thin the meaning
(1)	System of public conservan		
(2)	Transport service for the ca		
1-7	passengers or goods by Air,		
(3)	Service rendered by educat	[[] [[] [] [[] [[] [] [] [] [] [] [] []	
(4)	Insurance Service		
ਸ਼ਬਜ਼	संख्या १८.		9
100000000	निम्नलिखित में से कौनसी एक र	तेवा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनि	नेयम, 1987 की धारा
	ख) के अर्थ में 'लोक उपयोगिता सेवा'		
(1)	लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की !		
(2)	वायु, सड़क् या जल् द्वारा यात्रियों य	ा माल के	-
	परिवहन के लिए परिवहन सेवा	,	
(3)	शिक्षण संस्थाओ द्वारा दी जाने वाली	सेवा	
(4)	बीमा सेवा		
Que	stion No.19.		
-	Which of the following is lawfo	ul consideration:-	
(1)	- [프라이지 : 1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	aid to him by B, to make good	to B the value of
957/16500	his ship if it is wrecked on cer	[12] 하나면 네 [10] 나가 하나 이렇게 [12] 나가 하나 있는데 그 하나	
(2)	A promises to obtain for B an	N. S.	
(2)	in public service and B promis	경기 전 역시 이 이 이 중에 가장 아니는 아무리를 가면 살이 하면 하면 하면 하면 가장 하면 하는 것 같아.	
(3)	A being agent for a landed pro for money without the knowled	TO SECURE AND ADDRESS OF THE CONTROL	
	to obtain for B a lease of land	HTM (HTM HTM HTM HTM) (HTM HEND HTM	
(4)	(1) & (3) above		
	संख्या १९.		
N	निम्न में से कौनसा विधिक प्रतिफल	है :	
(1)	अ उसको ब द्वारा प्राप्त निश्चित रा		
8050	एक निश्चित समुद्री यात्रा के दौरान	\$1500 F31	
	हो जाने पर उसका मूल्य अदा करने		
(2)	अ ब को एक लोक सेवा दिलाने का		
aut.	ब उसे एक 1000/- रूपये का भुग		
HJS-1	5-LP-1	8	
	COLUMN TO THE PERSON OF THE PE		

(3)	अ जो एक भू स्वामी का अभि जानकारी के ब को एक भूमि	कर्ता है बिना उसके प्र	मुख की	
(4)	1 और 3 दोनों	का पट्टा दिलान का	वयन दता ह	
Que	stion No.20.			
ACT,	Which of the following a ned under the provisions 2005:-	ct does not const of the Protection	itute a form of do of Women from	omestic violence as Domestic Violence
	sexual abuse emotional abuse social isolation economic abuse			
तहत्	संख्या 20. निम्नलिखित में से कौनसा अ घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं	ाचरण घरेलू हिंसा से आता है :—	महिलाओं का संरक्ष	ण अधिनियम, 2005 के
(1) (2) (3)	लैंगिक दुरूपयोग भावनात्मक दुरूपयोग			
(3) (4)	सामाजिक अलगाव आर्थिक दुरूपयोग			
***	* ***	****	***	****

PART B - भाग ब SUBJECTIVE/NARRATIVE विषयनिष्ठ / वर्णात्मक

Attempt all 6 Questions. Question No. 1 and 2 carry 20 marks each. Question No. 3 to 6 carry 10 marks each.

समस्त 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 1 एवम् 2 प्रत्येक के 20 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 3 से 6 प्रत्येक के 10 अंक निर्धारित है।

Question No.1:

(20 Marks)

Write short notes on:

(Answer any five out of eight-each carries 4 marks)

प्रश्न संख्या 1.

संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये :

(आठ में से किन्ही पांच का उत्तर दीजिये - प्रत्येक के 4 अंक निर्धारित है)

1(i) 'Fiduciary relationship' within the meaning of Section 16 of Indian Contract Act, 1872 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 16 के अर्थ में 'वैश्वासिक सम्बन्ध'

1(ii)Doctrine of election as incorporated under Transfer of Property Act, 1882 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 में उल्लेखित निर्वाचन का सिद्धान्त

- 1(iii)The principle of gender equality enshrined in Constitution of India भारतीय संविधान में निहित लैगिंक समानता के सिद्धान्त
- 1(iv)Doctrine of Stare Decisis स्टेयर डिसाइसिस का सिद्धान्त
- 1(v) Contract which are not specifically enforceable as per the provisions of Specific Relief Act, 1963 संविदाएं जिनका विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है
- 1(vi) Procedure and powers of the Rent Tribunal and the Appellate Rent Tribunal under Rajasthan Rent Control Act, 2001 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के तहत् किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया एवं शक्तियां
- 1(vii) Grounds for setting aside arbitral award under the Arbitration & Conciliation Act, 1996 . माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत माध्यस्थम पंचाट अपास्त करने के आधार
- 1(viii) Authority of the court to impound the instruments tendered in evidence, which are not duly stamped under the provisions of Rajasthan Stamps Act, 1998 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के तहत् न्यायालय द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत उन दस्तावेजात् को, जो सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, परिबद्ध किये जाने की अधिकारिता

Question No.2:

(20 Marks)

Explain the difference between:

(Answer any five out of eight-each carries 4 marks)

प्रश्न संख्या 2.

संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये :

(आठ में से किन्ही पांच का उत्तर दीजिये - प्रत्येक के 4 अंक निर्धारित है)

- 2(i) Composite negligence and Contributory negligence सम्मिश्रित लापरवाही एवं योगदायी लापरवाही
- 2(ii) Contingent contract and Quasi contract समाश्रित संविदा एवं सदृश संविदा
- 2(iii) Grove land and pasture land उपवन भूमि एवं चारागाह भूमि
- 2(iv) Physical abuse and sexual abuse under the provisions of Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शारीरिक दुरूपयोग एवं लैंगिक दुरूपयोग
- 2(v) Usufructuary mortgage and English mortgage भोग बन्धक एवं अंग्रेजी बन्धक
- 2(vi) Mandatory injunction and prohibatory injuction आज्ञापक व्यादेश एवं प्रतिषेधात्मक व्यादेश
- 2(vii) Ratio descidendi and obiter dicta विनिश्चय–आधार एवं इतरोक्ति
- 2(viii) Condition and Warranty शर्त एवं वारन्टी

Question No.3

(10 Marks)

Legal representatives of the deceased or victim of a motor accident can lay a claim for compensation either under Section 163A or 166 of the Motor Vehicles Act, 1988. Explain elaborately parameters and yardsticks set out for determining quantum of compensation in respect of claim under Section 163A and 166 of the Act. Deliberate on Section 168 of the Act vis-a-vis both the claims.

प्रश्न संख्या 3.

(10 अंक)

मोटर दुर्घटना में मृतक के विधिक प्रतिनिधि या आहत व्यक्ति द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु धारा 163-क अथवा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत् दावा संस्थापित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 163-क व 166 के अन्तर्गत प्रस्तुत दावे में मुआवजा निर्धारण के आधार व मापदण्डों की विस्तृत व्याख्या करें। उक्त दोनों दावे के संदर्भ में अधिनियम की धारा 168 के प्रावधानों की विवेचना करें।

OR

What are the general rules of succession in case of female Hindu under Chapter II of the Hindu Succession Act, 1956? Elucidate the order of succession and manner of distribution amongst heirs of a female and right of child in womb. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अध्याय II के अन्तर्गत हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या है? हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति और गर्भ स्थित अपत्य के अधिकार का विशदीकरण कीजिये।

Question No.4: (10 Marks)

Citizens right to freedom of speech and expression has many facets and in the present scenario, it has acquired great significance to enforce transparency and accountability about the affairs of the State and public bodies. Elaborate on the issue and also make a critical analysis that right is not absolute but subject to reasonable restrictions.

प्रश्न संख्या 4.

नागरिको के वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार के कई पहलू है एवं वर्तमान परिदृश्य में इसने राज्य एवं सार्वजनिक निकायों के कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं जबाबदेही के प्रवर्तन के सन्दर्भ में महती उपयोगिता अर्जित की है। इस बिन्दु पर विस्तारपूर्वक विवेचना करें एवं यह अधिकार सम्पूर्ण नहीं है अपितु युक्तियुक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन है, का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

Article 14 of the Constitution permits classification but it prohibits class legislation. Explain the criteria for a valid classification with apt examples. Differentiate between a reasonable classification and a class legislation with special reference to the case of Ram Krishna Dalmia Vs. Justice S.R. Tendolkar (AIR 1958 SC 538).

संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्गीकरण अनुज्ञेय परन्तु वर्ग विधान प्रतिबन्धित है। विधिमान्य वर्गीकरण के मानदण्ड की समग्र व्याख्या मय उचित उदाहरणों के करें। युक्तियुक्त वर्गीकरण एवं वर्ग विधान का विभेद प्रकरण राम कृष्ण डालिमया बनाम जिस्टस एस. आर. टेन्डोलकर (AIR 1958 SC 538) के विशेष सन्दर्भ में करें।

Question 5:

(10 Marks)

Discuss elaborately object, essential conditions of applicability of Section 47 of Civil Procedure Code, 1908 as also the power of Executing Court thereunder to determine the questions arising between the parties to the suit in which decree was passed or their representatives.

प्रश्न संख्या 5.

(10 3)

धारा 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के उद्देश्य, लागू होने की आवश्यक शर्ते एवं निष्पादन न्यायालय की उस दावे के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच जिसमे आज्ञप्ति पारित की गयी थी, उत्पन्न होने वाले प्रश्नो को विनिश्चित करने की शक्तियों की विस्तृत विवेचना करें।

OR

Critically analyse the basic principles required to be taken into consideration while allowing or rejecting the amendment of the pleadings. Discuss the effect of amendment introduced in Order VI Rule 17 CPC vide Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2002.

अभिवचन के संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करते समय विचारणीय आधारभूत सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा आदेश VI नियम 17 में प्रविष्ट संशोधन के प्रभाव की विवेचना करें।

HJS-15-LP-1

Plaintiff 'A' instituted a civil suit against defendant 'B' for perpetual injunction for restraining him from raising construction on his plot, which is adjacent to the plot of 'A', without prior permission from competent authority and further not to raise construction on the set back area. Defendant 'B' filed an application under Section 11 CPC with supporting documents resisting the suit by pleading that earlier 'A' filed a suit wherein the matter directly and substantially in issue between the same parties has been finally adjudicated by a Court of competent jurisdiction.

'A' submitted reply to the same and sought dismissal of the application with a plea that earlier judgment was rendered by the Court of competent jurisdiction by relying on inadmissible evidence and some of the legal precedents which were not of binding nature. A plea is also sought to be raised that alleged unauthorized construction on set back area was not subject matter of the earlier suit.

Draw an order with reasons on the application made by defendant 'B'.

वादी 'अ' ने प्रतिवादी 'ब' जिसेका के खण्ड वादी के भू खण्ड से पार्थिस्थ है के विरुद्ध इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 'ब' की भू खण्ड हों। सक्षम अधिकारी से बिना स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण कार्य करने से रोका जावे और यह भी आदेशित किया जावे कि वह भू खण्ड के सेटबेक में निर्माण कार्य न करें। प्रतिवादी 'ब' ने वाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर ये अभिकथन किया की पूर्व में 'अ' ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारों के मध्य प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद की विषय वस्तु वही थी जो वर्तमान वाद में है तथा उक्त वाद का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है।

'अ' ने प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर की कि पूर्व में पारित सक्षम न्यायालय का निर्णय साक्ष्य में अग्राहय् अभिलेखों एवं आबध्यकारी पूर्व न्याय निर्णयो पर आधारित है। यह तथ्य भी प्रतिउत्तर में उल्लेखित किया कि पूर्व में दायर वाद में सेटबेक पर तथाकथित अवैध निर्माण कार्य वाद का विषयवस्तु नहीं था।

प्रतिवादी 'ब' द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सकारण आदेश पारित करें।